



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

देहरादून, बुधवार, 11 अक्टूबर, 2017 ई0
आश्विन 19, 1939 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

औद्योगिक विकास अनुभाग-1

संख्या 1329/VII-1/2017/8ख/16
देहरादून, 11 अक्टूबर, 2017

अधिसूचना

प्रकीर्ण

प0 आ0-110

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या 67, सन् 1957) की धारा 9ख की उपधारा(1) तथा धारा 15 एवं 15क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से उत्तराखण्ड के प्रत्येक जिले में एक न्यास स्थापित करते हैं, जिसे(जिला का नाम) जिला खनिज फाउंडेशन न्यास कहा जायेगा। उक्त न्यास एक अलाभकारी निकाय होगा।

आज्ञा से,

आनन्द बर्दान,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of "the Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 1329/VII-1/2017/08 Kha/2016, dated October 11, 2017 for general information:

No. 1329/VII-1/2017/08 Kha/2016
Dated Dehradun, October 11, 2017

NOTIFICATION

Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9B and section 15 & 15A of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 (Act no. 67 of 1957), the Governor is pleased to establish with effect from the date of publication of this notification in the Gazette a Trust in every district of Uttarakhand to be called (name of the district), District Mineral Foundation Trust. The trust shall be a non-profit body.

By Order,

ANAND BARDHAN,
Principal Secretary.